भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 451

उत्तर देने की तारीख: 22.07.2026

सफाई और कचरा उठाने वाले कामगारों की सुरक्षा

451. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कचरा बीनने, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे श्रमिकों, जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति के हैं, की खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों का संज्ञान लिया है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान सफाई और कचरा प्रबंधन श्रमिकों में रिपोर्ट की गई चोटों और मृत्यु की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान सीवर और सेप्टिक टैंक से जुड़ी मौतों की संख्या और प्रत्येक मामले में दिए गए मुआवज़े का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) केंद्रीय योजनाओं के तहत मशीनीकृत सफाई उपकरण, सुरक्षात्मक गियर, बीमा आच्छादन और सुरक्षा प्रशिक्षण पाने वाले सफाई कर्मचारियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(ड.) पहचाने गए और पुनर्वासित किए गए मैला ढोने वाले कर्मियों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): जी, हां

(ख) और (ग): राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2026 तक सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई के कारण मृत सफाई कर्मचारियों का राज्य-वार विवरण तथा इन मृत सफाई कर्मचारियों के विधिक उत तराधिकारियों/आश्रितों को भुगतान किए गए मुआवजे का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से स्वच्छता कार्य और कचरा प्रबंधन के दौरान चोटिल होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ): वर्ष 2023 में शुरू की गई राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते) स्कीम के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों तथा कचरा बीनने वालों को प्रदान किए गए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किटों की वर्ष-वार संख्या; मशीनीकृत सफाई उपकरणों के लिए पूंजीगत सहायता प्राप्त करने वाले स्वच्छता श्रमिकों की संख्या; व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण/कौशल विकास प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या का विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

(ङ): वर्ष 2013 और 2018 में किए गए दो सर्वेक्षणों के दौरान 58,098 हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान की गई है। पहचाने गए हाथ से मैला उठाने वालों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **संलग्नक-III** पर है।

एकमुश्त नकद सहायता प्राप्त करने वाले हाथ से मैला उठाने वालों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **संलग्नक-IV** में दी गई है।

कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हाथ से मैला उठाने वालों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **संलग्नक-V** में दी गई है।

सामान्य परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सहायता (सब्सिडी) प्राप्त करने वाले हाथ से मैला उठाने वालों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **संलग्नक-VI** में दी गई है।

संलग्नक-I

'सफाई और कचरा उठाने वाले कामगारों की सुरक्षा' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 451, जिसका उत्तर दिनांक 22.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-I

दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2026 तक सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई के कारण मृत सफाई कर्मचारियों का राज्य-वार विवरण तथा इन मृत सफाई कर्मचारियों के विधिक उत तराधिकारियों/आश्रितों को भुगतान किए गए मुआवजे का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मृत यु की संख्या	पूरे मुआवजे का भुगतान (मामलों की संख्या)	आंशिक मुआवजे का भुगतान (मामलों की संख्या)
1.	आंध्र प्रदेश	5	5	-
2.	बिहार	2	2	-
3.	दादरा और नगर हवेली	3	3	-
4.	दिल्ली	29	23	-
5.	गोवा	1	1	-
6.	गुजरात	27	27	-
7.	हरियाणा	47	29	5
8.	झारखंड	1	1	-
9.	कर्नाटक	12	11	-
10.	मध्य प्रदेश	13	12	1
11.	महाराष्ट्र	58	42	5
12.	ओडिशा	2	2	-
13.	पंजाब	12	12	-
14.	राजस्थान	23	23	-
15.	तमिलनाडु	38	35	-
16.	तेलंगाना	9	8	1
17.	उत्तर प्रदेश	37	23	3
18.	पश्चिम बंगाल	13	9	3
	कुल	332	268	18

संलग्नक-II

'सफाई और कचरा उठाने वाले कामगारों की सुरक्षा' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 451, जिसका उत्तर दिनांक 22.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-II

नमस्ते योजना के अंतर्गत सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों तथा कचरा बीनने वालों को प्रदान किए गए निजी सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किटों की वर्ष-वार संख्या; मशीनीकृत सफाई उपकरणों के लिए पूंजीगत सहायता प्राप्त करने वाले स्वच्छता श्रमिकों की संख्या; व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण/कौशल विकास प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

घटक	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 (आज की तारीख तक)
सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों तथा कचरा बीनने वालों के लिए प्रदान की गई पीपीई किट की संख्या	3,498	42,373	2,20,857	4,427
मशीनीकृत सफाई उपकरणों के लिए पूंजीगत सहायता प्राप्त करने वाले स्वच्छता श्रमिकों की संख्या	4,13	2,50	3,20	40
व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण/कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	2,000	1,631	7,058	9,604
स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	8,552	12,756	1,52,493	7,261

संलग्नक-III

'सफाई और कचरा उठाने वाले कामगारों की सुरक्षा' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 451, जिसका उत्तर दिनांक 22.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (ङ.) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-III

2013 और 2018 में आयोजित दो सर्वेक्षणों में पहचाने गए हाथ से मैला उठाने वाले श्रमिकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य	2013 में आयोजित किया गया सर्वेक्षण	2018 में आयोजित किया गया सर्वेक्षण	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	59	1734	1793
2.	असम	150	3771	3921
3.	बिहार	131	-	131
4.	छत्तीसगढ़	3	-	3
5.	गुजरात	-	105	105
6.	झारखंड	-	192	192
7.	कर्नाटक	689	2238	2927
8.	केरल	-	518	518
9.	मध्य प्रदेश	36	474	510
10.	महाराष्ट्र	-	6325	6325
11.	ओडिशा	230	-	230
12.	पंजाब	90	141	231
13.	राजस्थान	333	2340	2673
14.	तमिलनाडु	342	56	398
15.	उत्तर प्रदेश	11589	20884	32473
16.	उत्तराखंड	134	4854	4988
17.	पश्चिम बंगाल	95	585	680
	कुल योग	**13881**	**44217**	**58098**

संलग्नक- IV

'सफाई और कचरा उठाने वाले कामगारों की सुरक्षा' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 451, जिसका उत्तर दिनांक 22.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (ड.) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक- IV

एकमुश्त नकद सहायता प्राप्त करने वाले हाथ से मैला उठाने वालों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य	2013-14	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
1	आंध्र प्रदेश	-	45	-	8	2	1334	74	330	1793
2	असम	-	-	-	-	144	538	188	3051	3921
3	बिहार	-	-	131	-	-	-	-	-	131
4	छत्तीसगढ	3	-	-	-	-	-	-	-	3
5	गुजरात	-	-	-	-	-	96	9	-	105
6	झारखंड	-	-	-	-	-	108	16	68	192
7	कर्नाटक	125	18	79	17	293	920	429	1046	2927
8	केरल	-	-	-	-	-	504	14	-	518
9	मध्य प्रदेश	-	-	36	-	-	305	-	169	510
10	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	4605	1002	718	6325
11	ओडिशा	-	-	172	45	1	-	1	11	230
12	पंजाब	-	-	87	-	1	126	8	9	231
13	राजस्थान	-	-	194	104	23	2038	82	232	2673
14	तमिलनाडु	-	-	170	108	38	41	27	14	398
15	उत्तर प्रदेश	35	1083	7146	1075	669	5154	11044	6267	32473
16	उत्तराखंड	-	-	134	-	-	1755	324	2775	4988
17	पश्चिम बंगाल	-	95	-	-	-	555	28	2	680
कुल		**163**	**1241**	**8149**	**1357**	**1171**	**18079**	**13246**	**14692**	**58098**

संलग्नक-V

'सफाई और कचरा उठाने वाले कामगारों की सुरक्षा' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 451, जिसका उत्तर दिनांक 22.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (ड.) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-V

कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हाथ से मैला उठाने वालों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	104	76	72	-	-	-	-	**252**
2	असम	-	-	-	7	38	143	272	60	138	-	-	-	**658**
3	बिहार	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	**18**
4	गुजरात	-	-	-	7	12	-	-	-	-	-	-	-	**19**
5	झारखंड	-	-	-	-	24	10	-	-	-	-	-	-	**34**
6	कर्नाटक	-	-	-	51	29	-	171	98	-	228	-	89	**666**
7	केरल	-	-	-	-	161	153	-	-	-	12	-	-	**326**
8	मध्य प्रदेश	-	9	-	-	49	40	-	-	145	-	-	-	**243**
9	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	569	763	234	72	-	153	113	**1904**
10	ओडिशा	-	56	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	**66**
11	पंजाब	-	5	22	6	29	-	-	-	-	-	-	-	**62**
12	राजस्थान	-	24	53	73	107	220	347	128	480	302	184	256	**2174**
13	तमिलनाडु	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	**29**
14	उत्तर प्रदेश	-	625	4298	126	1041	833	3741	2036	2300	1270	978	1041	**18289**
15	उत्तराखंड	-	116	-	1	163	460	735	195	279	172	316	502	**2939**
16	पश्चिम बंगाल	97	-	-	35	-	-	99	-	-	16	-	-	**247**
		97	**835**	**4373**	**334**	**1682**	**2532**	**6204**	**2823**	**3414**	**2000**	**1631**	**2001**	**27926**

संलग्नक-VI

'सफाई और कचरा उठाने वाले कामगारों की सुरक्षा' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 451, जिसका उत्तर दिनांक 22.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (ड.) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-VI

सामान्य परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सहायता (सब्सिडी) प्राप्त करने वाले हाथ से मैला उठाने वालों की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	कुल
1	असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	9
2	कर्नाटक	-	190	-	-	-	-	-	208	315	130	18	-	-	861
3	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	0	56	7	72
4	ओडिशा	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
5	पंजाब	-	21	14	-	1	-	5	-	5	-	-	-	-	46
6	राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	32	-	46
7	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	75	3	-	-	-	-	-	-	78
8	उत्तर प्रदेश	-	-	182	159	140	32	146	107	8	55	32	109	-	970
9	उत्तराखंड	-	71	-	-	3	-	-	-	-	-	22	-	-	96
10	पश्चिम बंगाल	97	-	-	-	-	-	-	61	384	-	-	-	-	542
कुल		**97**	**365**	**196**	**159**	**144**	**107**	**154**	**377**	**714**	**191**	**88**	**204**	**7**	**2803**
